न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 71/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/82

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.)

बनाम

अभियुक्त :–

1. सुरेन्द्र पुत्र श्री शान्तिलालजी जैन मैसर्स – गीत एण्टरप्राईजेज, मैन गनोडा घाटोल रोड बामनपाडा, तह–घाटोल, बांसवाडा
2. मयंक पुत्र श्री सुरेन्द्र जी जैन मैसर्स – गीत एण्टरप्राईजेज, मैन गनोडा घाटोल रोड बामनपाडा, तह–घाटोल, बांसवाडा
3- Navin Kothari m/s Pariwar Point Opp. Hero Motors, Prtapgargh Road, Ghatol, Banswara
4. Mohamad Mazid Khan (Nominee) Amber Confectionery Pvt. Ltd. 336/5 New Agrawal Udyod Nagar Palda, Indore (MP) 452020

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 16.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा हाल सिरोही (राज) के द्वारा दिनांक **25–11–2022** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **13–01–2022** को 03.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स – गीत एण्टरप्राईजेज, मैन गनोडा घाटोल रोड बामनपाडा, तह–घाटोल, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **सुरेन्द्र पुत्र श्री शान्तिलालजी जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Sugar Boiled Confectionery (Brand-Amber) के 500–500 ग्राम के 45 पैकेट** आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिलावट का शक होने पर वस्तु के जाँच हेतु खरीदने की सूचना देते हुए उक्त **Sugar Boiled Confectionery (Brand- Amber)** के [illegible] विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गए तथा इनकी [illegible] कर रसीद प्राप्त की। विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये [illegible] खरीद किये गये **Sugar Boiled Confectionery (Brand- Amber)** के चार पैक मुल पैक पर डी.[illegible] मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-891 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

12 (अ) तारीख जिस पर [illegible]

नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

डी.ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/33–34 दिनांक 12.02.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 65 दिनांक 25.01.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sugar Boiled Confectionery (Brand- Amber)** Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and Violate food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **Sugar Boiled Confectionery (Brand- Amber)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 16.01.2023 को अभियुक्तगण सं. 1 व 4 ने उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगण सं. 1 से 4 को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। डी.ओ एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/33–34 दिनांक 12.02.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 65 दिनांक 25.01.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sugar Boiled Confectionery (Brand- Amber)** Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and Violate food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **Sugar Boiled Confectionery (Brand- Amber)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 52 में जुर्माने का प्रावधान है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) and Violate food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड किया **Sugar Boiled Confectionery (Brand-Amber)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। आरोपीगण को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर सुरेन्द्र पुत्र श्री शान्तिलालजी जैन मैसर्स – गीत एण्टरप्राईजेज, मैन गनोडा घाटोल रोड बामनपाडा, तह–घाटोल, बांसवाडा को 10000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र), मयंक पुत्र श्री सुरेन्द्र जी जैन मैसर्स – गीत एण्टरप्राईजेज, मैन गनोडा घाटोल रोड बामनपाडा, तह–घाटोल, बांसवाडा को 10000/– (अक्षरे रू. दस हजार मात्र), **Navin Kothari m/s Pariwar Point Opp. Hero Motors, Prtapgargh Road, Ghatol, Banswara** को 15000/– (अक्षरे रू. पंद्रह हजार मात्र), **Mohamad Mazid Khan (Nominee) Amber Confectionery Pvt. Ltd. 336/5 New Agrawal Udyod Nagar Palda, Indore** को 25000/– (अक्षरे रू. पच्चीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

13. (अ) तारीख ...

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया ग...